रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2006/अग्रहायण 20, 1928
No. 181] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2006/AGRAHAYANA 20, 1928

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2006

फा. सं. 49-4/2006-राअशिप (मानदंड तथा मानक).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा समय-समय पर विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक तैयार किए गए हैं और उन्हें अद्यतन बनाया गया है । मास्टर ऑफ एजूकेशन (एम.एड.-आमने-सामने) तथा मास्टर ऑफ एजूकेशन (एम.एड.-अंशकालिक) के लिए संशोधित मानदंड और मानक भारत के असाधारण राजपत्र में 15 नवम्बर, 2006 को प्रकाशित दिनांक 13 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 49-4/2006-राअशिप (मा. तथा म.) द्वारा प्रख्यापित किए गए थे ।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम में और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) के खंड 32 के उप-खंड (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.एड.) तथा शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानदंड और मानक संशोधित करती है और निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **लघु शीर्ष और प्रवर्तन.**-(1) ये विनियम "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006" कहलाएंगे ।

2. **प्रयोज्यता.**-(1) ये विनियम स्थितिनुसार शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.एड.) तथा शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) समतुल्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने/आयोजित करने के लिए अनुमति प्रदान से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

3. **संशोधन की सीमा.**-मानदंडों और मानकों के परिशिष्ट 3, 4 और 5 जिन्हें राअशिप विनियम, 2002 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिन्हें राअशिप विनियम, 2005 में बनाए रखा गया था, उन्हें इस संशोधन के परिशिष्ट-1 और 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उनके एक अंग के रूप में पढ़ा जाएगा ।

वी. सी. तिवारी, सदस्य-सचिव
[विज्ञापन III/IV/131/2006-असा.]

टिप्पणी : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2005, 13 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या 49-42/2005/राअशिप (मानक तथा मानदंड) के अधीन प्रकाशित किए गए थे । ये विनियम दिनांक 21-7-2006 और 15-11-2006 की अधिसूचना संख्या 49-4/2006/राअशिप (मानक तथा मानदंड) द्वारा बाद में संशोधित किए गए हैं ।

परिशिष्ट-I

शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी. एड.) के लिए स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मानदण्ड और मानक

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा ईसीई (0-6 वर्ष) विशेष रूप से बच्चे की भाषा, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । साथ ही यह शिक्षा बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अन्तिम वर्षों में एक सशक्त अवलम्ब भी प्रदान करती है । ईसीई का उद्देश्य आनन्दपूर्ण, बालकेन्द्रित, खेल और क्रियाकलाप आधारित अधिगम वातावरण में समग्र बाल विकास करना है । यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इस अवस्था में तीन आर (पढ़ना, लिखना और गणित) बच्चों पर थोपे न जाएं और यह भी कि कोई पाठ्यपुस्तकें, परीक्षाएं, इन्टरव्यू, गृहकार्य, प्रतियोगी खेल तथा अन्य नेमी स्कूली-प्रकृति के अन्य क्रियाकलाप न हों ।

1.1.2 ईसीई प्रदान करने वाली मौजूदा व्यवस्थाओं और कार्यक्रमों में आईसीडीएस, ईसीई केन्द्र, बालवाडियों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित दिक-देखभाल केन्द्र, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित पूर्व-प्राथमिक स्कूल (मोंटसरी, किंडरगार्टन नर्सरी स्कूल) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बहुविध क्रियाकलाप शामिल हैं । ये प्रावधान सरकारी, निजी और एनजीओ क्षेत्रों के बीच बंटे हैं जबकि सरकारी हस्तक्षेपणीय उपाय अधिकांशतः आईसीडीएस तक सीमित है ।

1.1.3 ईसीई में प्रशिक्षण को लेकर अनेक प्रकार के तथा बहुविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनकी अवधि तीन महीने से लेकर 2 वर्षों तक अलग-अलग होती है । इनमें सेवाकालीन तथा सेवापूर्व - दोनों तरह के कार्यक्रमों के अलावा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के जरिए विभिन्न नामों से संचालित ये कार्यक्रम शामिल हैं । जैसेकि आंगनवाड़ीसेविका प्रशिक्षण, नर्सरी अध्यापक/पूर्व-प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण, बाल देखभाल में व्यावसायिक प्रशिक्षण, आईसीसीडब्ल्यू का बालसेविका प्रशिक्षण, मोंटसरी प्रशिक्षण, एकीकृत पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा, मध्यम स्तरीय पर्यवेक्षक प्रशिक्षण आदि । ईसीई स्थिति के वैविध्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस आयुवर्ग के लिए कार्यबल के प्रशिक्षण के वास्ते एक माडल विकसित किए जाने की जरूरत है जिसमें कार्यक्रम की विशिष्ट प्रवृत्ति, स्टाफ का स्तर तथा प्रशिक्षण की विधि और स्थल जैसी बातें समाहित हों ।

1.2 प्रयोज्यता

आगे दिए गए मानदण्ड और मानक नितान्ततः पूर्व प्राथमिक अथवा स्कूल-पूर्व अथवा नर्सरी (जिस रूप में आमतौर पर विख्यात है) स्तरों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों के मामले में लागू होंगे ।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

(क) स्कूल-पूर्व/नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी ।

(ख) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 200 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन निकटस्थ पूर्व-स्कूलों में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए होंगे, छः दिनों के सप्ताह के दौरान कार्यदिवस छः घंटे का तथा पांच दिनों के सप्ताह में कार्यदिवस 7.2 घंटे का होगा ।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक यूनिट होगा ।

3.2 पात्रता

3.2.1 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित पूरी कर ली हैं, वे दाखिले के लिए पात्र हैं ।

3.2.2 केन्द्रीय सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अंकों में छूट/सीटों में आरक्षण होगा ।

3.3 दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे ।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 (क)(i) संख्या (दाखिल किए जाने वाले 50 और दो वर्षों के लिए 100 छात्रों के लिए)

प्रिंसीपल	1
लेक्चरर	4

4.1.1 (क)(ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए जो कि 50 छात्रों के गुणक में होंगे पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में तीन की वृद्धि कर दी जाएगी ।

4.1.1 (क)(iii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव, संगीत, ललित कलाओं, भाण्डकर्म, नाटक, नृत्य, विज्ञान (पर्यावरण) के अधीन क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक विषय सम्बन्ध में एक-एक अंशकालिक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी ।

4.1.1. (ख) अर्हताएं

(i) प्रिंसीपल

(क) स्कूल-पूर्व शिक्षा में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा सहित एम.एड.

अथवा

एम.ए. शिक्षा तथा बी.एड. (नर्सरी)/दो वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित स्कूल-पूर्व शिक्षा में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा

अथवा

एम.एससी (गृहविज्ञान)/एम.ए.मनोविज्ञान (बाल विकास) और दो वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित नर्सरी अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा

अथवा

लेक्चरर के लिए निर्धारित अर्हता के साथ नर्सरी/स्कूल-पूर्व/पूर्व-प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में 5 वर्ष का अध्यापक अनुभव

(ii) लेक्चरर/अध्यापक

(क) स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा (प्रमाणपत्र)/बी.एड. (नर्सरी) सहित स्नातक

अथवा

(ख) मनोविज्ञान के साथ स्नातक/बी.एससी(गृहविज्ञान), बालविकास में विशेषज्ञता के साथ स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा।

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पुस्तकालयाध्यक्ष	एक (पूर्णकालिक)
कला (ललित कलाएं/ निष्पादन कला/संगीत)	अंशकालिक
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	अंशकालिक

(ख) अर्हता

सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित ।

4.1.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i)	यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक	1 (नियमित)
(ii)	कम्प्यूटर प्रचालक एवं स्टोरकीपर	1 (नियमित)
(iii)	परिचर	2 (नियमित)

(ख) अर्हताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित ।

4.2 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी ।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी ।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन के मानदण्डों के अनुसार की जाएगी ।

(घ) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(ड.) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी ।

5.0 सुविधाएं

5.1.1 क्लासरूमों आदि सहित निर्गत क्षेत्र कम से कम 800 वर्गमीटर होगा । प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट का स्थान होगा।

5.1.2 दो क्लासरूमों, एक बड़े बहुद्देशीय हाल, एक विशाल अधिगम संसाधन केन्द्र, सेमीनार/ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांगों की शिक्षा के लिए संसाधन कक्ष, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए स्वतंत्र कमरों, प्रशासिनक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होगी । संगीत, कला, नाटक, हस्तशिल्प, सामग्री उत्पादन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी क्रियाकलाप बहुद्देशीय हाल में किए जा सकते हैं । प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट का शिक्षणात्मक स्थान होगा । प्रत्येक क्लासरूप का आकार ऐसा होगा कि उसमें 50 प्रशिक्षणार्थी-अध्यापक सुविधापूर्वक बैठ सकें । बहुद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था रखी जाएगी ।

5.1.3 शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और ऐथेलेटिक्स के लिए समुचित आकार के बाहरी स्थान के अलावा इन्डोर खेलों के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए । खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी । विकल्प के तौर पर सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है ।

5.1.4 आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए ।

5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा-रहित होने चाहिए ।

5.2 शिक्षणात्मक सामग्री

5.2.1 संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए निकटस्थ स्कूल-पूर्व/ईसीई केन्द्रों के संकुल की सुविधा सुलभ होनी चाहिए । इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी । यह वांछनीय है कि संस्थान का एक अपना सम्बद्ध नर्सरी स्कूल हो ।

5.2.2 संस्थान एक संयुक्त अधिगम संसाधन केन्द्र का गठन करेगा जिससे कि एक ऐसा वातावरण मुहैया कराया जा सके जिसमें अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया की सहायता और संवर्धन के लिए अध्यापकों और छात्रों के वास्ते बहुविध सामग्री और संसाधन उपलब्ध हो सकें । इनमें निम्न शामिल हो सकते हैं -

- पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं
- बच्चों की पुस्तकें
- श्रव्य-दृश्य सामग्री-टीवी, वीसीआर, टेपरिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर
- श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, वीडियो- श्रव्यटेप, स्लाइडें, फिल्में
- अध्यापन सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें
- विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन साधन
- कम्प्यूटर, जोरोक्स मशीन

5.2.3 विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री

5.2.3.1 अध्यापन-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री

ये उपकरण और सामग्री कार्यक्रम में नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा - दोनों दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होने चाहिए । इनमें निम्न शामिल हैं -

शैक्षिक किट, माडल, खेल सामग्री, विभिन्न विषयों (गीत, खेल, क्रियाकलाप, कार्यपृष्ठ) सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, सचित्र पुस्तकें, चित्र, ब्लो-अप, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, हैण्डबुक, तस्वीरें, बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं की चित्रात्मक प्रस्तुतियां

5.2.3.2 सहायक सामग्री, खेल सामग्री और कला तथा दस्तकारी क्रियाकलापों के लिए उपकरण, औजार, कच्ची सामग्री

काष्ठ कर्म औजारों का एक सेट, माली के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, सिलाई, ड्रेसडिजाइनिंग, कठपुतली के लिए अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों द्वारा चार्टों, माडलों को तैयार करने तथा अन्य व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री - कला सामग्री, बेकार सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड आदि) औजार जैसेकि कैंची, पैमाने आदि, कपड़ा ।

5.2.3.3 श्रव्य दृश्य उपकरण

5.2.2 में यथानिर्दिष्ट । प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी, वीसीआर, श्रव्य कैसेट रिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रव्य वीडियो कैसेटों, दृश्य-श्रव्य टेपों, स्लाइडों, फिल्में, चार्टों, तस्वीरों, रौट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्सम्बन्ध टर्मिनल) सहित शैक्षिक साफटवेयर सुविधाएं वांछनीय होंगी ।

5.2.3.4 संगीत और लय

हार्मोनियम, तबल, बांसुरी, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाद्ययंत्रों जैसे सामान्य संगीत वाद्ययंत्र

5.2.3.5 पुस्तकें, जर्नल तथा पत्रिकाएं

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम 1000 पुस्तकें होनी चाहिए और हर साल 100 उत्कृष्ट पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए । पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोष, कोष, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, बच्चों पर तथा उनके वास्ते अध्यापक पुस्तिकाएं, पुस्तकें (प्रहसनों, कथाओं, सचित्र पुस्ताकों/ऐल्बमों, कविताओं सहित) संस्थान को कम से कम तीन पत्रिकाएं मंगानी

चाहिए जिनमें से कम से एक एक व्यावसायिक शिक्षा से सम्बद्ध होनी चाहिए ।

5.2.3.6 खेल और खेल-कूद

सामान्य इन्डोर और आउटडोर खेलों के लिए सम्बन्धित खेल और खेल-कूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए ।

5.3 सुविधाएं

5.3.1 शिक्षण कक्ष तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर ।

5.3.2 संस्थान को महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के लिए एक कामन रूम की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए ।

5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पुरूषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध होने चाहिए ।

5.3.4 वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

5.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

5.3.6 परिसर की नियमित सफाई, पानी और टायलेट सुविधाएं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए ।

6.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा संस्थानगत स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है ।

3853G1/06—2

परिशिष्ट-2

शिक्षा में डिप्लोमा (डी. एड.) के लिए प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मानदण्ड और मानक

1.0 प्रस्तावना

1.1.1 देश के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा (6-14 वर्ष) प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है । प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लैंगिक अन्तरालों को पाटने वाले एक समावेशी स्कूल वातावरण में सभी बच्चों की बुनियादी अधिगम जरूरतों को पूरा करना है ।

1.1.2 प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्य ये हैं कि बच्चे को साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, सम्प्रेषण और समस्या समाधान के कौशल विकसित करने और आसपास के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण तथा उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी अभिवृत्तियों और कौशलों का ज्ञान और समझ विकसित करने योग्य बनाया जा सके ।

1.1.3 शिक्षा का प्रारम्भिक स्तर बच्चे को तीन आर (पढ़ना, लिखना और गणित) के साथ औपचारिक रूप से परिचित करने की शुरूआत है जो धीरे-धीरे विषय क्षेत्रों के अध्ययन की ओर बढ़ता है । इसे बच्चे के लिए एक ऐसा अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जो कि आनन्दपूर्ण, क्रियाकलाप आधारित तथा सहभागितापूर्ण अध्यापन-अधिगम को बढ़ावा देता हो ।

1.1.4 प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कई नामों से जाना जाता है जैसेकि बीटीसी, शिक्षा में डिप्लोमा, टीटीसी तथा इसी तरह के अन्य नाम । प्रशिक्षण की अवधि और प्रवेश की अर्हताएं अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं । यह पाठ्यक्रम प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों तथा डाइटों में चलाया जाता है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के प्राथमिक (I-V) स्तर के लिए अध्यापक तैयार करना है ।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

(क) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष है ।

(ख) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 200 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन निकटस्थ प्रारम्भिक स्कूलों में अभ्यास अध्यापन/कौशल विकास के निमित्त होंगे ।

(ग) एक कार्यदिवस छः दिन के सप्ताह में कम से कम छः घंटे का होगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों तथा प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी ताकि जब कभी जरूरत हो वैयक्तिक सलाह, मार्गदर्शन, संवाद और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके ।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की प्रक्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक यूनिट होगा ।

3.2 पात्रता

3.2.1 उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा उसके समतुल्य परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं ।

3.2.2 केन्द्रीय सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अंकों में छूट/सीटों में आरक्षण होगा ।

3.3 दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे ।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 (क)(i)	संख्या (दाखिल किए जाने वाले 50 और दो वर्षों के लिए 100 छात्रों के लिए)	
	प्रिंसीपल	1
	लेक्चरर	5
4.1.1 (क)(ii)	दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए जो कि 50 छात्रों के गुणक में होंगे पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में तीन की वृद्धि कर दी जाएगी ।	

4.1.1 (क)(iii) अध्यापकों की नियुक्ति ऐसे की जायेगी कि सभी प्रविधि पाठ्यक्रमों और आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके

4.1.1 (क)(iv) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव, संगीत, आईसीसी आदि जैसे क्रियाकलापों के लिए अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की जा सकती है ।

4.1.1 (ख) अर्हताएं

प्रिंसीपल

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं, तथा

(ख) प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापक का दो वर्ष का अनुभव

लेक्चरर

(क) एम.एड. (अथवा बी.एड. सहित एम.ए. शिक्षा) तथा प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा/मान्यताप्राप्त प्रारम्भिक स्कूल/प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव

अथवा

(ख) संगत स्कूल विषय में मास्टर्स डिग्री तथा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा सहित बी.एड. के साथ प्रारम्भिक स्कूल/अध्यापक शिक्षा संस्थान में पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पुस्तकालयाध्यक्ष	एक (पूर्णकालिक)

कला (ललित कलाएं/ निष्पादन कला/संगीत)	अंशकालिक
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	अंशकालिक
कार्य अनुभव	अंशकालिक

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकार/प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित अर्हताएं ।

4.1.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i)	यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक	1 (नियमित)
(ii)	कम्प्यूटर प्रचालक-एवं-स्टोरकीपर	1 (नियमित)
(iii)	परिचर	2 (नियमित)

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित अर्हताएं

4.2 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी ।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी ।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदण्डों के अनुसार की जाएगी ।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को सम्बन्धित सरकार द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के नाम चैक के माध्यम से अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के आधार पर किया जाएगा ।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी ।

5.0 सुविधाएं

5.1.1 क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 1500 वर्गमीटर होगा । प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट का स्थान होगा।

5.1.2 दो क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, एक बहुद्देशीय प्रयोगशाला, सेमीनार/ ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांगों की शिक्षा के लिए संसाधन कक्ष, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों, कार्यालय, प्रशासिनक स्टाफ के लिए स्वतंत्र कमरों तथा एक स्टोर की व्यवस्था होगी । संगीत, कला, नाटक, कार्यानुभव क्रियाकलापों के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था की जाएगी। क्लाशरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के वास्ते कम से कम 10 वर्गफुट स्थान होगा । बहुउद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था रखी जायेगी ।

5.1.3 खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं होंगी । विकल्प के तौर पर सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है छोटे मैदान के खेलों, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है ।

5.1.4 आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए ।

5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा रहित होने चाहिए ।

5.2 शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए निकटस्थ पर्याप्त संख्या में (5-10) मान्यताप्राप्त प्रारम्भिक स्कूल होने चाहिए । इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी । यह वांछनीय है कि संस्थान का एक अपना सम्बद्ध प्रारम्भिक स्कूल हो ।

(ख) मनोविज्ञान और विज्ञान अनुभागों सहित एक बहुद्देशीय शैक्षिक प्रयोगशाला और उसके साथ सम्बद्ध एक कार्यशाला होगी।

(ग) विज्ञान अनुभाग में प्रारम्भिक स्कूलों के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रयोगों का निदर्शन करने के लिए अपेक्षित उपकरण उपलब्ध रहेंगे ।

(घ) मनोविज्ञान अनुभाग में बच्चों के प्रेक्षण, परामर्श तथा मार्गदर्शन, व्यक्तित्व और रुचि सूचियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी ।

(ड.) भाषा सीखने के तो हार्डवेयर और साफ्टवेयर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी ।

(च) एक ऐसी शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी जिसमें प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी कैमरा सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) साक्षरता प्रदान करने के लिए जरूरी शैक्षिक साफ्टवेयर उपलब्ध रहेगा ।

(छ) रोट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह इन्टरलिंकिंग टर्मिनल) वांछनीय होगा ।

(ज) एक पुस्तकालय होगा जिसमें अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोषों, शब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडा रोम) सहित कम से कम 2000 पुस्तकें और प्रारम्भिक शिक्षा तथा सम्बद्ध विषयों पर पांच शैक्षिक पत्रिकाएं उपलब्ध रहेंगी । इस संग्रह में प्रतिवर्ष 200 पुस्तकें जोड़ी जाएंगी । पुस्तकालय में संकाय और प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा के साथ-साथ इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर उपलब्ध रहेंगे ।

(झ) एक कला और संगीत अनुभाग होगा जिसमें दृश्य कला के लिए आर्ट पेपर साथ ही बोर्ड, ब्रश, रंग आदि उपलब्ध रहेंगे । हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मृदंग तथा अन्य स्थानीय लोकप्रिय वाद्ययंत्र, मंचन, नृत्य और नाटक निस्पादन के लिए वेशभूषाएं तथा अन्य साज-सामान, पर्दे तथा अन्य साज-सामान उपलब्ध रहेगा ।

5.3 सुविधाएं

5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा । अध्यापकों और छात्रों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, कार्यालय, स्टोर रूम आदि के लिए आवश्यकतानुसार मेजें और कुर्सियां उपलब्ध करायी जाएंगी ।

5.3.2 संस्थान को महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए एक कामन रूम की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए ।

5.3.3 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

5.3.4 स्टाफ और छात्रों के लिए पुरूषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में टायलेट उपलब्ध कराये जाएंगे ।

5.3.5 कैंटीन, टेलीफोन सुविधा तथा वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी ।

5.3.6 जब कभी जरूरत हो फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए और परिसर, पानी तथा टायलेट सुविधाओं की नियमित सफाई के लिए कारगर व्यवस्था होनी चाहिए ।

6.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की अनुपातिक वृद्धि सहित) तथा संस्थानगत स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है ।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2006

F. No. 49-4/2006-NCTE (N & S).—Norms and Standards for various teacher education programmes have been prescribed and updated by the National Council for Teacher Education (NCTE) from time to time. The revised norms and standards for M.Ed. (face to face) and M.Ed. (Part Time) were promulgated *vide* Notification No. F. 49-4/2006-NCTE (N & S) dated 13th November, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary on 15th November, 2006.

2. In continuation of the above notification and in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 32 of the NCTE Act, 19— (73 of 1993), the NCTE hereby revise the Norms and Standards for teacher education courses leading to Certificate in Education (C.Ed.) and Diploma in Education (D.Ed.) and makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the "National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Third Amendment) Regulations, 2006."

2. **Applicability.**—(1) These regulations shall be applicable to all matters pertaining to grant of recognition/ permission to conduct a teacher education programme leading to Certificate in Education (C.Ed.) and Diploma in Education (D.Ed.) as the case may be, or equivalent.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. **Extent of Amendment.**—(i) The Appendix 3, 4 and 5 of the norms and standards which were notified by NCTE Regulations, 2002 and retained in the NCTE Regulations, 2005 shall be replaced by the Appendix 1 and 2 to this amendment and be read as part thereof.

V. C. TEWARI, Member Secy.

[ADVT III/IV/131/2006-Exty.]

Note : The National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2005 were published *vide* Notification No. 49-42/2005/NCTE (N & S) dated 13th January, 2006. These Regulations have subsequently been amended by Notification No. 49-4/2006/NCTE (N & S) dated 21-7-2006 and 15-11-2006.

Appendix 1

Norms and standards for Pre-School Education Programme Leading to Certificate in Education (C.Ed.)

1.0 Preamble

1.1.1 Early childhood Education ECE (0-6 years) is of crucial importance especially from the point of view of the development of child's language, intelligence and personality. It also provides a strong support to the child's elementary education during later years. ECE aims at total child development in a learning environment that is joyful, child-centered, play and activity based. It must be ensured that at this stage that the 3 R's are not forced upon the children and that there are no textbooks, tests, interviews, homework, competitive sports and such other routine school-like activities.

1.1.2 Existing arrangements and programmes for providing ECE cover a wide range – ICDS, ECE Centres, Balwadis and Day-care Centres run by voluntary organizations, Pre-primary schools run by governmental and non-governmental agencies (Montessori, Kindergarten, Nursery schools) and material and child health services through primary health centers. The provisions are distributed among government, private and NGO sectors with government intervention largely confined to ICDS.

1.1.3 The training scene in ECE demonstrates a wide range and variety of programmes, their duration varying from 3 months to 2 years. They include both inservice and preservice programmes and programmes offered through distance education under different nomenclatures Anganwadi Sewika's training, Nursery teachers' / pre-primary teachers training, vocational training in child care, Balsevika training of ICCW, Montessori training, integrated pre-primary and primary teachers training, Diploma in early childhood education, middle level supervisors training etc. The diversity that characterizes the ECE situation calls for development of model of training of work force with reference to this age group covering specific, nature of programme, level of staff and mode and location of training.

1.2 Applicability

The norms and standards that follow apply to institutions offering teacher education programmes exclusively for pre-primary or pre-school or nursery (as it is generally defined) levels.

2.0 Duration and Working Days

(a) The Pre-school/Nursery teacher-education programme shall be of duration of two academic years.

(b) There shall be at least 200 working days each year, exclusive of period of examination and admission etc., out of which at least 40 days shall be for internship in nearby pre-schools, each working day being of 6 hours in a six-day week and 7.2 hours each day where working is five day a week.

3853G1/06—3

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

3.1.1 There shall be a unit of 50 students, for each year.

3.2 Eligibility

3.2.1 Candidates who have completed class XII with not less than 50% marks are eligible for admission.

3.2.2. There shall be relaxation of marks/reservation of seats for SC/ST/OBC and other categories as per the provisions of the Central Government/ State Government/UT Administration concerned.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government /UT Administration.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.1 (a)(i) **Number** (for an intake of 50 and 100 for 2 years)

Principal	-	1
Lecturers	-	4

4.1.1. (a)(ii) Additional intake which will be in the multiple of 50 student, the number of full time teacher educators shall be increased by three.

4.1.1. (a)(iii) For 'activities under Health and Physical Education, Art, Work Experience, Music, Fine Arts, pottery, drama, dance, science (environment) part-time teachers, one for each, shall be appointed.

4.1.1 (b) Qualifications

(i) **Principal:-**

(a) M.Ed. with Certificate/ Diploma in Pre-School Education

OR

M.A. Education with B.Ed. (Nursery)/ certificate/diploma in pre-school education along with 2 years' of teaching experience,

OR

(b) M.Sc.(Home Science)/M.A. Psychology(Child Development) and Diploma in Nursery Teacher Education along with 2 years' of teaching experience.

OR

(c) Qualification prescribed for lecturer along with 5 years' experience of teaching in a Nursery/Pre-school / Pre-primary teacher education institution.

(ii) **Lecturer/Teacher** :-

(a) Graduate with Diploma (certificate) in Pre-school Teacher Education/B.Ed. (Nursery).

OR

(b) Graduate with Psychology /B.Sc. (Home Science) with a specialization in Child Development along with Diploma in Pre-school Teacher Education.

4.1.2 Technical Support Staff

(a) Number

Librarian	-	one (full time)
Art (Fine Arts/performing Art/music)	-	Part-time
Health & Physical Education	-	Part time

(b) Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

4.1.3. Administrative staff

(a) Number

(i)	UDC/Office Superintendent	1 (Regular)
(ii)	Computer Operator-cum-Store keeper	1 (Regular)
(iii)	Helpers	2 (Regular)

(b) Qualifications as prescribed by State Government/UT Administration concerned.

4.2 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board, whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff can be made as per norms of the State Government/UT Administration concerned.

(d) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(e) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of State Government/UT Administration concerned.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 Built-in area consisting of class rooms etc. shall not be less than 800 sq.m. Space in each instructional room shall be 10 sq.ft. per student.

5.1.2 There shall be provision for two classrooms, one large multi-purpose hall, one spacious learning resource centre, seminar/tutorial rooms, resource room for education of the handicapped, separate rooms for the Principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. Activities related to Music, Art, Drama, craft, material production and education technology may be conducted in multi-purpose hall. The size of instructional space shall not be less than 10 sq.ft. per student. Each classroom should be of such size as to comfortably accommodate 50 student-teachers. The Multi-Purpose Hall shall have the seating capacity for 150 persons.

5.1.3 Reasonable outdoor space shall be provided for physical education, sports and athletics and also facilities for indoor games. There shall be games facilities with playground. Alternatively, the playground available with the attached school or local body may be utilized and where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for yoga, indoor games may be provided.

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 The institutional campus, building, furniture etc. should be barrier free.

5.2. Instructional

5.2.1. The institution shall have access to a cluster of nearby pre-school/ECE centers for field work and practice teaching related activities of student teachers. A list of such schools shall be prepared. It is desirable that the institution has its own attached Nursery school.

5.2.2 The institution shall establish a composite Learning Resource Centre to provide a setting wherein teachers and students have access to a variety of materials and resources to support and enhance the teaching-learning process. These should include :

- Books, journals and magazines
- Children's books
- Audio-visual equipment – TV, VCR, tape recorder, slide projector
- Audio-visual aids, video – audio tapes, slides, films.
- Teaching aids – charts, pictures
- Developmental assessment check lists and measurement tools.
- Computer, Xerox machine.

5.2.3. Equipment and materials for different activities

5.2.3.1 Teaching-Learning materials and Aids

The equipment and materials should be suitable and sufficient in quality and quantity for the variety of activities planned in the programme. These include the following :

Educational kits, models, play materials, simple books on different topics (songs, games, activities, work pages), puppets, picture books, photographs, blow-ups, charts, maps, flash cards, handbooks, pictures, pictorial representations of developmental characteristics of children.

5.2.3.2 Equipment, Tools, Raw material for aids, Play material and arts and crafts activities.

One set of wood working tools, one set of gardener's tools, raw materials and equipment required for toy making, doll making, tailoring, dress designing, puppetry, material for preparation of charts, models and other practical activities to be done by the student teacher – art material, waste material, stationery (chart paper, mount board etc.), tools like scissors, scales etc., cloth.

5.2.3.3 Audio Visual Equipment

As mentioned in 5.2.2. Hardware for projection and duplication and educational software facilities including TV, VCR, Audio Cassette Recorder, slide projector, blank audio video cassettes, video-audio tapes, slides, films, charts, pictures. ROT (Received Only Terminal) and SIT (Satellite Interlinking Terminal) would be desirable.

5.2.3.4 Music and Movement

Simple musical instruments such as Harmonium, Tabla, Flute, Manjira and other indigenous instruments.

5.2.3.5 Books, Journals and Magazines

A minimum of 1000 books on relevant subjects should be available during the first year of establishment of the institution and 100 standard books be added every year. The collection of books should include children's encyclopedias, dictionaries, reference books, books on professional education, teachers' handbooks, books on and for children (including comics, stories, picture books/albums, poems). The institution should subscribe to at least three journals of which at least one should be on professional education.

5.2.3.6 Games and Sports

Adequate games and sports equipment for common indoor and outdoor games should be available.

5.3 Amenities

5.3.1. Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

5.3.2 The institution shall provide a common room for female teacher educators/student teachers.

5.3.3 Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

5.3.4. Arrangement may be made for parking of vehicles.

5.3.5 Safe drinking water be provided in the institution.

5.3.6 Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

6.0 General

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space, may be shared.

Appendix 2

Norms and standards for Elementary Teacher Education Programme Leading to Diploma in Education (D.Ed.)

1.0 Preamble

1.1.1 Free and compulsory elementary education (6-14 years) is the fundamental right of every child in our country. The aim of elementary education is to fulfill the basic learning needs of all children in an inclusive school environment bridging social and gender gaps with the active participation of the community.

1.1.2 The objectives of elementary education are to enable the child to develop skills of literacy, numeracy, communication and problem solving and acquire knowledge and understanding of the physical and social world around and attitudes and skills related to enhancing productivity and quality of life.

1.1.3 The elementary stage of education marks the beginning of formal introduction of the child to the 3R's gradually moving on to the study of the disciplines. It should provide for a learning environment for children that promote joyful, activity based and participatory teaching and learning.

1.1.4 The elementary teacher education programme carries different nomenclatures like BTC, Diploma in Education, TTC and so on. Both the duration of training and entry qualifications differ across states. The course is offered in elementary teacher education institutions and in DIETs. The programme is aimed at preparing teachers for primary (I-V) level of education.

2.0 Duration and working days

(c) The elementary teacher education programme shall be of duration of two academic years.

(d) There shall be at least 200 working days each year exclusive of the period of examination and admission, out of which at least 40 days shall be for practice teaching/skill development in nearby elementary schools.

(e) A working day shall be of a minimum of 6 hours in a six day week, during which physical presence in the institution of all the teachers and student teachers is necessary to ensure their availability for individual advice, guidance, dialogues and consultation as and when needed.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

3.1.1 There shall be a unit of 50 students, for each year.

3.2 Eligibility

3.2.1 Candidates with at least 50% marks in the senior secondary examination (+2) or its equivalent are eligible for admission.

3.2.2 There shall be relaxation of marks/reservation of seats for SC/ST/OBC and other categories as per the Rules of the Central Government/State Government/UT Administration concerned.

3.3 Admission Procedure

3.3.1 Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government /UT Administration.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.1 a (i) Number (for an intake of 50 each year, total 100 in the 2 years.)

Principal	-	1
Lecturers	-	5

4.1.1.a (ii) Additional intake which will be in the multiple of 50 student, the number of full time teacher educators shall be increased by three.

4.1.1.a (iii) Appointment of teachers shall be such as to ensure the availability of expertise for all methodology courses and foundation courses.

4.1.1. a (iv) For activities such as Health and Physical Education, Art, Work Experience, Music, ICT etc., part-time teachers may be appointed.

4.1.1(b) Qualifications

Principal

(a) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer; and

(b) 2 years' experience of teaching in an elementary teacher education institution.

Lecturer:-

(a) M.Ed. (or M.A. Education with B.Ed.) and diploma in Elementary Teacher Education / 5 years' teaching experience in recognized elementary school/elementary teacher education institution.

OR

(b) Master's Degree in relevant school subject and Bachelor of Elementary Education or B.Ed. with Diploma in Elementary Education with five years' teaching experience in elementary school/teacher education institution.

4.1.2 Technical Support Staff

(a) Number

Librarian	-	one (full time)
Art (Fine Arts/performing Art/music)	-	Part-time
Health & Physical Education	-	Part time
Work experience	-	Part time

(b) Qualifications as prescribed by the State Government/UT Administration concerned.

4.1.3. Administrative staff

(a) Number

(i)	UDC/Office Superintendent	1 (Regular)
(ii)	Computer Operator-cum-Store keeper	1 (Regular)
(iii)	Helpers	2 (Regular)

(b) Qualifications as prescribed by the State Govt/UT Administration concerned.

4.2 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee, specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

Built-in area consisting of class rooms etc. shall not be less than 1500 sq. mts. Space in each instructional room shall be 10 sq.ft. per student.

5.1.2 There shall be provision for two classrooms, one multi-purpose hall, one multi-purpose laboratory, seminar/tutorial rooms, resource room for education of handicapped, separate rooms for the Principal, for the faculty members, for the office and for the administrative staff and a store. Appropriate space is provided for Music, Art, Drama, Work Experience activities. For every instructional room like class rooms, laboratory, library etc. space shall not be less than 10 sq.ft. per student. Multi-purpose hall shall have the seating capacity for 150 persons.

5.1.3. There shall be games facilities with a playground. Alternatively, the playground available with the attached school or local body may be utilized exclusively for fixed periods. Where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for small court games, yoga and indoor games may be provided.

5.1.4. Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 The institutional campus, building, furniture etc. should be barrier free.

5.2. **Instructional**

(a) The institution shall have easy access to sufficient number (5-10) of recognized elementary schools for field work and practice teaching related activities of student teachers. A list of such schools shall be prepared. It is desirable that it has an attached elementary school of its own.

(b) There shall be a multi-purpose educational laboratory with psychology and science sections, and a workshop attached to it.

(c) The science section shall have the apparatus required to demonstrate all the experiments as per the syllabus of elementary schools.

(d) The psychology section shall have facilities for observation of children, counseling & guidance, Personality and Interest Inventories.

(e) There shall be hardware and software facilities for language learning.

(f) There shall be an Educational Technology laboratory with hardware for projection and duplication and educational software, required for imparting Information Technology (IT) literacy, including TV, Camera etc.

(g) ROT (Received Only Terminal) and SIT (Satellite Interlinking Terminal) shall be desirable.

(h) There shall be a library equipped with minimum 2000 titles including text and reference books related to the prescribed course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD Roms) and five educational journals on elementary education and related subjects. It should be augmented with addition of 200 titles annually. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student – teachers.

(i) There shall be an Art and Music section, equipped with art paper, also boards, brushes, colours etc. for visual art. Simple musical instruments such as harmonium, tabla, flute, mridanga, other local popular instruments, costumes and accessories for staging, dance and drama performance, curtains and other accessories.

5.3. Amenities

5.3.1 Functional and appropriate furniture for the purpose in required number shall be provided for instructional and other purposes. Tables and chairs for teachers and students, for laboratories and workshops, computer room, library, office, storeroom etc. should be provided fully as needed.

5.3.2 The institution shall provide common rooms for female teacher educators/trainees.

5.3.3 Safe drinking water be provided in the institution.

5.3.4 Sufficient number of toilets, separate Male and Female, shall be made available to staff and students.

5.3.5. Arrangement shall be made for a canteen, telephone facility and parking of vehicles, etc.

5.3.6 Effective arrangements shall be made for the repair and replenishment of furniture and other equipments as and when needed and regular cleaning of campus, water and toilet facilities.

General

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space may be shared.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.